

...students. In
...ity of India
...will bend to
...slogans..The
...more endur-
...indestructible

...The driver was speeding and a woman ran
...out a technical inspection of the accident spot.
...Statements of a few eyewitnesses have been re-
...corded. The driver has been taken into custo-
...dy." The bodies have been sent for autopsy. An
...FIR has been registered against the driver un-
...der IPC sections 304-A (causing death by negli-
...gence) and 279 (rash driving), police said.

retary Baldeo Chaudhary said though his group
"didn't need permission" to install loudspeakers in
the town, the organisation had applied for the
same. However, the administration has denied it.
"We are prepared to install loudspeakers at 21
crossings of Aligarh and will start the process on
Tuesday (April 19)," said Chaudhary.

Is in UP's Kairana offer water, fruits to is during Hanuman Jayanti procession

1A/TNN

assage of communal
violence from across
ntry, Muslims wel-
procession by show-
ing cold water, fruits
levotees on Monday
area of Kairana in

votes to manoeuvre

through the narrow streets during the proces-
sion.

"Kairana is a Muslim majority town and it is
the responsibility of every citizen living here
to be involved in each other's happiness and
sorrow. The city is infamous only because of
politics and crime, but people here live with
love. Everyone respects each other's religions,"
said one Mohammad Saqib Malik, a local resi-
dent.

A member of Shri Hanuman Seva Samiti

Kairana, Shagun Mittal, told TOI, "Communal-
ism has never been an issue in Kairana. Hindu
and Muslim communities live here with great
love and harmony. Everyone participates in
each other's festivals and happiness. The image
of Kairana has been tarnished only because of
the criminals and they have no religion."

SHO Kairana Anil Kaparwan said that a
heavy police force was deployed for the Hanu-
man Jayanti procession and the event ended
peacefully with everyone's cooperation.

Highways Authority of India

Road Transport and Highways)

USER FEE (TOLL) RATES AT SARAI
AZA APPLICABLE FROM 19.04.2022

at pursuant to Fee Notification published in the
30.02.2020 by MoRTH and approval of user fee
of NHAI, the user fee rates for use of section from
pur to Khutar section) of NH-730 is going to be
a Toll Plaza (Chainage: 69.700 Km, near Hitouta
the State of Uttar Pradesh at the following rates:

Amount in Rs			
or le ey	Fee for Return Journey within a day	Fee for Monthly Pass valid for 50 Journeys	Fee for Commercial vehicles registered in district
	55	1200	20
	85	1940	30
	185	4065	60
	200	4435	65
	285	6375	95
	350	7765	115

ble for local non-commercial vehicle residing
he toll plaza shall be Rs 315/-

ed under public funds (The above section was
tract Agreement dated 30.11.2016 on EPC basis
rified the completed length of 44.132 Km. for
The above rates are applicable for a completed
ses of following:

Length (Km)	Equivalent (km) for which user fee is to be levied	Lane Configuration
44.132	44.132	2 Lane with PS
0	0	0
0	0	0

available at above toll plaza:
s from the time of payment for all categories of

from date of payment for all categories of

month for non-commercial vehicle residing

g those plying under national permit)
za (discount 50%)
as given in the Amendment to Fee Rules dated

excess of permissible load, shall pay 10 times
e the excess load to make use of highway.
is Rs 205.200 Crore. The user fee (toll) rates
ery of capital cost.

omplaints/suggestions, please contact Project
, Green Park, Bisalpur Road, Bareilly, Mob.

ATION, NOT JUST ROAD



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश
लिंक रोड नं 3, पत्रकार कॉलोनी के सामने, भोपाल

क्रमांक/एन.एच.एम./का.प्र./2022/2459

भोपाल, दिनांक 13/4/2022

संशोधित विज्ञप्ति

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के विज्ञप्ति क्रमांक/एनएचएम/कार्य.प्रशा./2022/1583/G234 भोपाल दिनांक
03.03.2022 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र अंतर्गत उप संचालक (आई.टी) के पद की पूर्ति प्रतियुक्ति के माध्यम से
किये जाने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये गये थे।

तत्संबंध में सूचित किया जाता है कि उक्त पद के आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तिथि 17.03.2022 से
संशोधित करते हुये दिनांक 29.04.2022 की जाती है आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

(मिशन संचालक, एनएचएम द्वारा अनुमोदित)

दो गज दूरी मास्क है जरूरी

जब तक कोरोना की दवाई नहीं, तब तक कोई हिलाई नहीं।

G-11643/22

Sd/-
उप संचालक, कार्यालय प्रशासन
एन.एच.एम., मध्यप्रदेश



मुख्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

"गौरा देवी पर्यावरण भवन"

46वी, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून, Website : ueppcb.uk.gov.in,
E-mail: msukpcb@yahoo.com, Ph. No. 2976157, 2976158, 2607092

पत्रांक - यूईपीसीबी / एचओ / एनओसी - 7566 / 22 / 147

दिनांक : 18.04.2022

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये सूचना

मै0 रुद्रानी माइन्स, ग्राम मल्लासंयुदा, तहसील एवं जिला बागेश्वर द्वारा ग्राम मल्लासंयुदा,
तहसील एवं जिला बागेश्वर में सोपस्टोन माइनिंग (क्षेत्रफल-14.062 है0, उत्पादन - 25,784 टन
क्षमता) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून
के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव के लिये राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA)
द्वारा Terms of Reference निर्धारित किये गये हैं, जिनके अन्तर्गत प्रस्तावक के द्वारा ड्राफ्ट पर्यावरण प्रभाव
मूल्यांकन रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु
परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ईआईए अधिसूचना 14.09.2006 यथासंशोधित के अनुसार उक्त
प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व लोक सुनवाई का प्राविधान है, जिस हेतु 30 दिनों का नोटिस
समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण के संज्ञानार्थ दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई हेतु "पैनल" की
संरचना उक्त अधिसूचना के अनुरूप निम्नवत् है:

1. जिलाधिकारी, जनपद बागेश्वर या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपर जिलाधिकारी स्तर से
कम पद का न हो, लोक सुनवाई के अध्यक्ष।
2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।

प्रस्ताव से सम्बन्धित जमा समस्त अभिलेख क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
25-सुभाष रोड, देहरादून; मुख्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 46 वी, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड,
देहरादून; क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी, जनपद
नैनीताल; कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर; कार्यालय जिला पंचायत, बागेश्वर; जिला उद्योग केन्द्र, बागेश्वर
एवं नगर पालिका परिषद, बागेश्वर में उपलब्ध हैं जिनका कोई भी इच्छुक संस्था/व्यक्ति अवलोकन कर सकता
है। ड्राफ्ट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं सारांश की प्रति www.ueppcb.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है।

मै0 रुद्रानी माइन्स, ग्राम मल्लासंयुदा, तहसील एवं जिला बागेश्वर द्वारा ग्राम मल्लासंयुदा, तहसील एवं
जिला बागेश्वर में सोपस्टोन माइनिंग (क्षेत्रफल-14.062 है0, उत्पादन - 25,784 टन क्षमता) हेतु पर्यावरणीय
स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई दिनांक 24.05.2022 को प्रातः 11:00 बजे से परियोजना स्थल में तत्समय
कोविड-19 के संदर्भ में विद्यमान SoP के अधीन सोशल डिस्टेंसिंग, आवश्यक रूप से मास्क का
प्रयोग, थर्मल स्क्रीनिंग एवं हैंडवाश व सेनेटाइजर तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों के साथ निर्धारित की
जाती है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने
मौखिक, लिखित, सुझाव, टीका टिप्पणियों एवं आपत्तियां इस कार्यालय अथवा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी में इस सूचना से सम्बन्धित विज्ञापन प्रकाशन
की तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रेषित कर सकते हैं अथवा लोक सुनवाई के समय भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

1-0-1 19.04.2022